



2026:AHC:49018

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 6459/2026

रामसिंगार एवं 3 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : देवी प्रसाद सिंह, पुण्यवासी राम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. आज जब मामला उठाया गया, याचिकाकर्ताओं के विधिक सलाहकार श्री पुण्यवासी राम द्वारा वर्तमान याचिका को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता/अनुमति सहित वापस लिए जाने के रूप में खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

2. इस प्रार्थना का शासकीय अधिवक्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. तदनुसार, रिट याचिका को प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता/अनुमति सहित वापस लिए जाने के रूप में खारिज किया जाता है।
4. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह चुनौती दिए गए आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रतिलिपि अभिलेख में सुरक्षित रखने के पश्चात उसे वापस कर दे।

11 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”